

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

कार्यवाही
नम्बर

हुक्म या कार्यवाही नम्बर इनिशियल्स जज

24.01.2019

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण नियत ^{सुनवाई पर} शिबिर में अनुपस्थित।
वादी यानि राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट बाबत सहखातेदारान के हिस्सों के सही विभक्तीकरण करा, घोषणात्मक डिक्री चाहने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आज वक्त सुनवाई वादी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा ने इसी मौजूदा वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten signature)